सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 254 राँची, शुक्रवार, 22 मई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

7 मई, 2026

संख्या :- 4/प्रोन्नति-202/2026 का॰ 2704--W.P.(S) No.- 3342/2021- प्रेम शंकर प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-20.02.2025 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

"34. In view of aforesaid cumulative facts and circumstances, impugned order dated 29.04.2021 (Annexure 20A) is quashed and Respondents are directed to restore the benefits of Junior Selection Grade, Senior Selection Grade and Promotion to the post of Section Officer and, if any amount has been recovered/withheld, the same shall also be released to Petitioner within a period of eight weeks from the date of receipt of a copy of this order. If aforesaid amount is not paid to petitioner within a period of eight weeks from the date of receipt of a copy of this order, Petitioner would be entitled to simple interest @ 6% per annum from the due date of aforesaid amounts till the date of actual payment by Respondent-authorities."

2. उक्त न्यायादेश के विरूद्ध विभाग की ओर से माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA No. 394/2025- झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम प्रेम शंकर प्रसाद दायर किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-26.09.2025 को LPA की सुनवाई कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया, परन्तु उक्त के पश्चात् LPA की सुनवाई अबतक नहीं हो सकी है ।

3. वादी द्वारा W.P.(S) No.- 3342/2021 में दिनांक-20.02.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु Contempt Case (C) No. 1168/2025- प्रेम शंकर प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया है, जिसमें दिनांक-20.03.2026 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित आदेश दिया गया है :-

"1. By way of last indulgence either to comply the order in true letter and spirit subject to the final outcome of L.P.A. or place the stay order, if any, list this case on 30.04.2026, failing which, O.P. No.2 shall appear in person through V.C. on the next date of hearing."

4. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-206 दिनांक-23.07.2010 द्वारा वादी श्री प्रेम शंकर प्रसाद के विरूद्ध पान-तांति जाति, अनुसूचित जाति का गलत जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने, उक्त का सेवापुस्त में दर्ज कराने एवं उक्त के आधार पर गलत संवर्गीय प्रोन्नति प्राप्त करने के आरोप में निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया था :-

(i) श्री प्रसाद को "एक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड" अधिरोपित करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

(ii) श्री प्रसाद को अनुसूचित जाति कोटि मानते हुए आरक्षी उप महानिरीक्षक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र, राँची द्वारा पान (तांती), अनुसूचित जाति श्रेणी की प्रविष्टि सेवापुस्त में करने संबंधी क्षेत्रादेश संख्या-342 दिनांक-23.04.1992 को रद्द किया जाता है। श्री प्रसाद तत्वा जाति, अत्यंत पिछड़ा के सदस्य हैं ।

(iii) श्री प्रसाद द्वारा कंडिका-10 में संदर्भित गलत ढंग से प्राप्त प्रोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त अधिक वेतन / राशि को देय मासिक वेतन से आसान किस्तों में वसूली का आदेश संबंधित प्रशासी विभाग को दिया जाता है ।

5. श्री प्रेम शंकर प्रसाद द्वारा उक्त अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में WP(S) No.- 1001/2009- प्रेम शंकर प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद दायर किया गया, जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-18.12.2020 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"9. In view of the aforesaid discussions and findings, the impugned order deserves to be quashed and set aside.

Consequently, order as contained in Memo No. 206 dated 23.07.2010, is hereby, quashed and set aside. The respondents are at liberty to pass a fresh order by considering the grounds taken by the petitioner in his reply to the second show cause notice and by

ignoring/excluding the letter of District Officer, Saran, Chapra issued under letter no. 442 dated 22.05.2010, as the same was not part and parcel of the Charge Sheet and/or of the departmental proceedings and was also issued behind the back of the petitioner. It is made clear that since the matter is very old, if the department chooses to proceed and pass a fresh order then the same shall be passed within a period of four months from the date of receipt/production of copy of this order, failing which the petitioner shall be entitled for all consequential benefits which was withheld pursuant to the Impugned Order (Annexure-27)."

6. उक्त न्यायादेश के अनुपालन में श्री प्रेम शंकर प्रसाद द्वारा समर्पित अभ्यावेदन, द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा एवं तदुपरांत प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय आदेश संख्या-2378 दिनांक-29.04.2021 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध पुनः निम्नांकित शास्ति अधिरोपित किया गया :-

(i) पेंशन नियमावली के नियम-43(बी0) के अधीन पूर्व निर्धारित एक वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने के समतुल्य इनके पेंशन से 05 % (पाँच प्रतिशत) की राशि की कटौती आजीवन करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही के समाप्त किया जाता है ।

(ii) श्री प्रसाद को अनुसूचित जाति कोटि मानते हुए आरक्षी उप महानिरीक्षक दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र, राँची द्वारा पान (तांती), अनुसूचित जाति श्रेणी की प्रविष्टि सेवापुस्त में करने संबंधी क्षेत्रादेश संख्या-342 दिनांक-23.04.1992 को रद्द किया जाता है ।

(iii) श्री प्रसाद को अनुसूचित जाति कोटि में मानते हुए बिहार सरकार के आदेश संख्या 32 दिनांक-27.01.1993 द्वारा दिनांक 30.08.1988 के प्रभाव से कनीय प्रवर कोटि वेतनमान रु0 1640-60-2600-75-2900/- में प्रोन्नति दी गई, जिसे आरोपों के कारण बिहार सरकार के आदेश संख्या-1123 दिनांक-29.11.2000 द्वारा रद्द कर दिया गया। इसी प्रकार श्री प्रसाद को बिहार सरकार के आदेश संख्या-33 दिनांक-29.01.1993 द्वारा दिनांक-30.08.1991 (दिनांक-01.03.1989 संशोधित) के प्रभाव से वरीय प्रवर कोटि वेतनमान रु० 1800-60-2280-75-3300/- में दी गई प्रोन्नति को आदेश संख्या-1082 दिनांक-07.11.2002 द्वारा रद्द कर दिया गया। पुनः बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-423 दिनांक-16.10.1993 द्वारा श्री प्रसाद को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर दी गई प्रोन्नति को आरोपों के कारण अधिसूचना संख्या-895 दिनांक-26.08.2000 द्वारा रद्द कर दिया गया ।

ऊपर वर्णित तथ्यों के आलोक में गलत प्रोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त वेतन/राशि को देय मासिक वेतन से आसान किस्तों में वसूली का आदेश संबंधित विभाग को दिया जाता है ।

7. श्री प्रसाद द्वारा विभागीय आदेश संख्या-2378 दिनांक-29.04.2021 के विरूद्ध पुनः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद संख्या W.P.(S) No. 3342/2021-प्रेम शंकर प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसकी विवरणी उपर्युक्त कंडिका-1 में अंकित है ।

8. विभागीय अधिसूचना संख्या-2327 दिनांक-20.04.2026 द्वारा उक्त W.P.(S) No. 3342/2021 एवं Contempt Case (C) No. 1168/2025 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी श्री प्रेम शंकर प्रसाद, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, राँची सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय आदेश संख्या-2378 दिनांक-29.04.2021 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को निरस्त किया गया है ।

उक्त अधिसूचना द्वारा दण्ड विलोपन के फलस्वरूप श्री प्रेम शंकर प्रसाद को LPA No. 394/2025 के अंतिम फलाफल के आधार पर सभी देय लाभों की स्वीकृति एवं अनुमान्य ब्याज राशि की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है।

9. वर्णित तथ्यों, विभागीय अधिसूचना संख्या-2327 दिनांक-20.04.2026, W.P.(S) No. 3342/2021 तथा Contempt Case (C) No. 1168/2025 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री प्रेम शंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त-सहायक, पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड, राँची के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :-

(i) बिहार सरकार के आदेश संख्या-32 दिनांक-27.01.1993 द्वारा श्री प्रसाद को दिनांक-30.08.1988 के प्रभाव से कनीय प्रवर कोटि वेतनमान रु० 1640-60-2600-75-2900/- में दी गई प्रोन्नति, जिसे आरोपों के कारण बिहार सरकार के आदेश संख्या-1123 दिनांक-29.11.2000 द्वारा रद्द कर दिया गया था, को रद्द किये जाने की तिथि से पुनर्स्थापित (Restore) किया जाता है ।

(ii) बिहार सरकार के आदेश संख्या-33 दिनांक-29.01.1993 द्वारा श्री प्रसाद को दिनांक-01.03.1989 के प्रभाव से वरीय प्रवर कोटि वेतनमान रु० 1800-60-2280-75-3300/- में दी गई प्रोन्नति, जिसे बिहार सरकार के आदेश संख्या-1082 दिनांक-07.11.2002 द्वारा रद्द कर दिया गया था, को रद्द किये जाने की तिथि से पुनर्स्थापित (Restore) किया जाता है ।

(iii) बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-423 दिनांक-16.10.1993 द्वारा श्री प्रसाद को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर दी गई प्रोन्नति, जिसे आरोपों के कारण बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-895 दिनांक-26.08.2000 द्वारा रद्द किया गया था, को दिनांक-05.05.2026 को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में रद्द किये जाने की तिथि से पुनर्स्थापित (Restore) किया जाता है ।

10. यह आदेश विभाग की ओर से दायर LPA No. 394/2025- झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम प्रेम शंकर प्रसाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा ।

11. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ब्रज माधव,
सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 254 - 50